

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था.(से.सं.)-18-01/2013..... / राँची, दिनांक :..... /

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश सं.-1244 दिनांक 11.02.2014 जिसके द्वारा सहायक अभियंताओं (असैनिक) की सेवा झारखण्ड अभियंत्रण सेवा सम्वर्ग-II में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर सम्पुष्ट (Confirm) की गयी है के क्र.-05 में "श्री रविशंकर चौधरी" के स्थान पर "श्री रविकान्त चौधरी" पढ़ा जाए।

2. उक्त आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव(प्र.)

ज्ञापांक :-

5276

राँची, दिनांक :-

29-4-14

प्रतिलिपि:-माननीया विभागीय मंत्री विशेष कार्य पदाधिकारी/ सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना युनिट, आदित्यपुर जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-08ए एवं 8बी/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/श्री रविकान्त चौधरी, सहायक अभियंता, लघु वितरणी अवर प्रमंडल सं.-04, मानगो, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



28-4-14

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव(प्र.)

